मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांकः 28/8/18

क्रमांक एफ 10-37 ——/2018/18-2/

प्रति,

1. समस्त आयुक्त,
   नगर पालिक निगम (म.प्र.)
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
   नगर पालिका/नगर परिषद, (म.प्र.)

विषयः–नगरीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी में भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की धारा 4, 5, 6 एवं 7 के पूर्णतः परिपालन के संबंध में।

विषयान्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 द्वारा तम्बाकू आपदा से लोगों को बचाने, जनहानि को रोकने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का विधि के प्रावधानों के पालन में कड़ाई से लागू किया जाना आवश्यक है।

1. भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की विभिन्न धाराओं में तम्बाकू के उपयोग से होने वाली जनहानि को रोकने के लिये निम्नानुसार दिये गये प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाना हैः–

1.1 धारा 4–

धारा 4 के अन्तर्गत सभी सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और इन स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों पर 200/– रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

1.2 धारा 5–

तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूर्णतः रोक है, जिनमें आकर्षित करने वाली योजनाएं, मुफ्त नमूनों का वितरण, तम्बाकू के ब्रांड के नाम पर किसी दूसरे उत्पाद को बेचना आदि शामिल है। (किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद–सिगरेट, बीड़ी, डिस्प्ले बोर्ड इत्यादि लगाना निषेध है)। यदि कोई धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो धारा 22 के तहत अर्थदण्ड एवं कारावास का प्रावधान है। उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं अपनी मासिक बैठकों के दौरान धारा 5 के उल्लंघनो की समीक्षा करें और समय समय पर अभियान चलाकर तम्बाकू उत्पाद की दुकानों एवं अन्य जगहों पर तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों हो हटाने की कार्यवाही करें।

1.3 धारा 6 (6 अ एवं 6 ब)–

धारा 6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाना सुनिश्चित करें।

धारा 6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज (300 फीट) के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय प्रतिबंधित है । धारा 6 का कड़ाई से पालन कर इस दायरे में आने वाली सभी दुकानें/गुमठियो/स्थायी–अस्थायी तम्बाकू बिकी केन्द्रों को हटाना सुनिश्चित करें एवं समय--समय पर बैठकों के दौरान समीक्षा करें ।

1.4 धारा 7–

अ– तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, प्रत्येक तम्बाकू उत्पाद पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनी होनी आवश्यक है।

ब– कोई भी तम्बाकू उत्पाद तब तक नहीं बेचा जा सकता, जब तक कि उसके पैकेज पर निर्धारित चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित न हो।

स– यह स्वास्थ्य चेतावनी पैकेट के सामने के मुख्य क्षेत्र के न्यूनतम 85 प्रतिशत हिस्से पर होनी चाहिये एवं पैकेट के ऊपरी किनारे के समानान्तर होनी चाहिए।

द– तम्बाकू उत्पादों के लिए भ्रामक भाषा जैसे हल्का, मध्यम अति हल्का अथवा वर्णात्मक शब्दों के प्रयोग पर प्रतिबंध है। धारा 7 के उल्लंघन पर (धारा 20 के तहत) जुर्माने एवं कारावास का प्रावधान है। अतः सुनिश्चित करें कि तम्बाकू उत्पाद थोक एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA) 2003 की धारा 7 का पूर्ण परिपालन करें एवं उल्लंघन करने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जावे।

2. तम्बाकू नियंत्रण कानून की उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्देशों पर भी कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें :–

2.1 नगरीय निकायों में संचालित तम्बाकू उत्पादों की दुकानों को दिए जाने वाले लाइसेंस की शर्तों में तम्बाकू नियंत्रण की धारा 5, 6 एवं 7 का पूर्णतः पालन करने की शर्त जोड़ें साथ ही यह भी शर्तों में लिखें कि कोई भी तम्बाकू उत्पाद विक्रेता तम्बाकू उत्पादों की दुकानों पर कोई अन्य सामग्री जैसे टॉफी, बिस्किट आदि विक्रय नहीं कर सकेगा। इन दुकानों पर केवल तम्बाकू उत्पाद ही बेचे जा सकेंगे और उल्लंघन की दशा में तम्बाकू उत्पादों की दुकानों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी एवं नगरीय निकायों द्वारा अन्य दुकानों को लाइसेंस देने की शर्तों में उल्लेख करें कि वे अपनी दुकानों से किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं करेंगे।

2.2 निकायों द्वारा दिये जाने वाले नवीन लाइसेंस में सुनिश्चित करें कि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट, ढाबा इत्यादी COTPA 2003 की विभिन्न धाराओं का पूर्णतः पालन करें एवं धारा 4 में वर्णित सभी मापदण्डों को लागू करे।

2.3 पूर्व लाइसेंसधारी वर्तमान में यदि होटल, बार, खाने के स्थल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (COTPA 2003) की धारा के किसी भी मापदण्ड का उल्लंघन किया है तो उसके संबंध में उचित वैधानिक कार्यवाही करें एवं आवश्यकता पड़ने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही करें।

2.4 होटल, बार, रेस्टोरेन्ट, कॉफी हाऊस एवं अन्य खाद्य पदार्थ के विकय स्थानों पर यदि कोई धूम्रपान के लिये गैर तम्बाकू उत्पाद का प्रयोग करने का दावा करता है तो उस गैर तम्बाकू उत्पाद का सेम्पल राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है इसका पालन सुनिश्चित करें।

2.5 स्मार्ट सिटी मिशन में सुनिश्चित करें कि सभी स्मार्ट सिटी में भी तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, 5, 6, 7 का पूर्णतः प्रतिपालन हो और स्मार्ट सिटी के सभी सार्वजनिक

स्थल धूम्रपान मुक्त हों। स्मार्ट सिटी से संबंधित अधिकारियों के लिये तम्बाकू नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किये जायें।

2.6 होटल, बार, रेस्टोरेंट, कॉफी हाऊस एवं अन्य खाने के स्थानों अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर कार्यवाही करें।

2.7 समय–सीमा की बैठक में तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन के लिये की गई कार्यवाही की समीक्षा करें।

2.8 उक्त के पालनार्थ प्रवर्तन दल गठित कर या अधिकृत अधिकारी/जोनल–वार्ड अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह निरंतर निगरानी करें।

2.9 स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गत तम्बाकू नियंत्रण को भी शामिल करें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

20/6/18

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक 10-37/2018/18-2 भोपाल, दिनांक : 20/6/18

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म0प्र0।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्मार्ट सिटी म0प्र0।
4. श्री अंशुम सिंह, वेब कन्टेन्ट मैनेजर, सीएमए/नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, म0प्र0 की ओर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल हेतु।

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
हस्ता./–
सहायक
हस्ता./–
आयुक्त

उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल